

प्रेषक,

रवीन्द्र यादव,  
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

डा० (श्रीमती) नीलू सिंह,  
सहायक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट,  
पी०एम०सी०एच०, पटना ।

पटना, दिनांक : 07.09.16

**विषय:** दिनांक 13.09.2016 से 20.09.2016 तक विदेश (यू०के०) जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपका आवेदन दिनांक 26.08.2016 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ दिनांक 13.09.2016 से 20.09.2016 तक विदेश (यू०के०) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1) अवकाश अवधि का विस्तार नहीं करेंगी ।
- 2) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं करेंगी ।
- 3) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- 4) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- 5) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं करेंगी ।
- 6) प्रवास से लौटने पर पुनः यथावत अपना योगदान करेंगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 529(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 07.09.16

प्रतिलिपि : अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : डा० (श्रीमती) नीलू सिंह, सहायक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, पी०एम०सी०एच०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 9 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव